भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 944

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

एक देश-एक उर्वरक योजना

944. श्री आशीष दुबे:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री भोजराज नाग:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री विजय बघेल:
श्री शंकर लालवानी:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री राजकुमार चाहर:
डा. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री हरिभाई पटेल:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री सुनील कुमार:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री महेश कश्यप:
श्री शशांक मणि:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'भारत' ब्रांड के तहत 'एक राष्ट्र-एक उर्वरक' पहल की शुरुआत की है और यदि हां, तो इसके प्रारंभ से देशभर में इसके उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं के साथ महाराष्ट्र और बिहार सहित स्थापित केंद्रों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या तथा इसके स्पष्ट परिणाम क्या हैं;

(ख) एकल 'भारत' ब्रांड से किसानों को किस प्रकार लाभ हुआ है और इससे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्यों में उर्वरकों के अनावश्यक आवागमन में राज्य-वार किस प्रकार कमी आई है;

(ग) उक्त योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान रियायती दरों पर विपणन और वितरित किए जा रहे उर्वरकों की वर्ष-वार मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा किसानों को नकली और घटिया उर्वरकों की बिक्री को रोकने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) पारदर्शिता, गुणवत्ता आश्वासन और आपूर्ति-श्रृंखला की एकरूपता में सुधार का ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): दिनांक 24 अगस्त, 2022 की अधिसूचना के तहत, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी स्कीम "प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) के तहत उर्वरकों के लिए एकल भारत ब्रांड और लोगो पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक (ओएनओएफ) को लागू करने का निर्णय लिया है। सभी उर्वरक कंपनियों, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी और निजी क्षेत्र से पूरे देश में "भारत" ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाले उर्वरक बेचने की अपेक्षा है। इस स्कीम का उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाना है; बाजार में मौजूद विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित ब्रांडों की बहुलता से किसानों के बीच हो रही दुविधा को दूर करना है, क्रिसक्रॉस संचलन को कम करना और इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों सहित देश भर में उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एक ही ब्रांड "भारत" के तहत ब्रांडिंग को समेकित करके, यह स्कीम पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, कदाचारों का निवारण करती है और फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तक समान पहुंच सुनिश्चित करती है। उर्वरक विभाग का अधिदेश राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उर्वरकों की निर्बाध, समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(V) राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों और चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.2026 से 19.07.2026 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) और (ड.): उर्वरकों की कालाबाजारी,घटिया गुणवत्ता के उर्वरक, जमाखोरी, और विपथन की समस्या से निपटने के लिए,आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत इन्हें आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन कदाचारों के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया गुणवत्ता तथा विपथन से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित निगरानी कर रहा है। देश में 1.04.2026 से 17.07.2026 तक 1,58,886 छापे मारे गए हैं, चूककर्ताओं के खिलाफ 8,262 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,692 लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए हैं और 247 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 24.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.944 के उत्तर के भाग (ग) से संबंधित है।

मौजूदा खरीफ़ 2026 (19.07.26) के दौरान राज्यवार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्रम.	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिमम स्टॉक 19.07.26	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिमम स्टॉक 19.07.26	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिमम स्टॉक 19.07.26	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिमम स्टॉक 19.07.26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.28	6.31	2.44	3.88	0.66	1.53	0.72	0.81	0.35	0.70	0.29	0.41	1.83	6.37	2.45	3.93
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.27	2.08	1.57	0.52	0.18	0.39	0.23	0.17	0.13	0.42	0.19	0.24	0.13	0.28	0.09	0.19
5	बिहार	4.02	7.46	2.90	4.56	1.43	2.19	0.80	1.38	0.75	0.80	0.11	0.69	1.71	3.19	0.64	2.55
6	चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	5.59	7.27	4.83	2.44	2.39	1.88	1.32	0.55	0.60	0.82	0.50	0.32	1.90	2.24	1.51	0.73
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.09	0.08	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
12	गुजरात	5.63	8.01	5.17	2.84	2.45	2.19	1.53	0.66	0.29	0.41	0.19	0.22	3.31	4.15	2.17	1.98
13	हरियाणा	5.93	9.39	7.17	2.22	1.23	1.61	1.15	0.45	0.37	0.38	0.13	0.25	0.29	0.42	0.16	0.26
14	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.37	0.24	0.13	0.01	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02	0.08	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.57	1.12	0.75	0.37	0.17	0.29	0.19	0.10	0.08	0.15	0.10	0.04	0.01	0.06	0.02	0.04
16	झारखंड	1.35	2.05	0.91	1.14	0.41	0.38	0.21	0.17	0.04	0.06	0.01	0.05	0.51	0.58	0.24	0.34
17	कर्नाटक	6.04	8.26	4.35	3.91	2.61	3.07	2.23	0.84	1.25	1.58	0.74	0.85	7.12	11.95	6.60	5.36
18	केरल	0.31	0.64	0.38	0.26	0.06	0.18	0.08	0.09	0.21	0.43	0.28	0.16	0.48	0.56	0.31	0.25
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	9.61	14.17	8.65	5.52	2.89	3.05	2.07	0.98	0.76	0.58	0.27	0.32	4.21	6.67	3.47	3.20
21	महाराष्ट्र	9.50	13.87	8.42	5.46	3.22	3.57	2.50	1.07	0.80	1.79	0.81	0.97	10.89	20.92	11.29	9.61
22	मणिपुर	0.10	0.18	0.10	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01
23	मेघालय	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	2.64	4.12	1.56	2.56	1.18	1.49	0.75	0.74	0.53	0.73	0.20	0.53	1.63	2.08	0.75	1.33
27	पुदुचेरी	0.03	0.05	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	11.53	14.80	11.53	3.27	1.48	2.31	1.28	1.03	0.56	0.64	0.21	0.44	0.48	0.48	0.18	0.30
29	राजस्थान	5.74	10.41	6.44	3.98	2.76	2.58	1.78	0.79	0.04	0.14	0.04	0.10	0.65	1.35	0.64	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.51	4.47	2.84	1.63	0.74	0.98	0.55	0.43	0.57	0.69	0.39	0.31	2.53	3.77	1.94	1.83
32	तेलंगाना	6.92	7.38	3.78	3.60	1.95	1.67	1.36	0.31	0.52	0.53	0.12	0.41	6.73	7.41	3.83	3.57
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.66	0.92	0.68	0.24	0.14	0.30	0.14	0.16	0.04	0.05	0.01	0.05	0.11	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	22.71	32.90	16.69	16.21	4.78	8.45	3.33	5.12	1.39	1.36	0.22	1.14	1.89	6.23	1.25	4.99
36	पश्चिम बंगाल	3.19	7.24	3.18	4.06	0.77	1.33	0.53	0.80	0.74	1.47	0.38	1.09	1.91	5.63	1.70	3.93
	अखिल भारत	**109.40**	**163.78**	**94.78**	**69.01**	**31.57**	**39.54**	**22.82**	**16.72**	**10.06**	**13.81**	**5.20**	**8.63**	**48.48**	**84.57**	**39.36**	**45.21**

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्यवार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्रम.सं	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45	1.70	2.22	1.82	15.80	19.06	15.59
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72	0.57	0.78	0.55	0.58	0.55	0.40
5	बिहार	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57	2.00	2.23	1.80	6.00	8.01	5.89
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25	1.10	1.33	0.82	2.40	4.34	2.57
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03
12	गुजरात	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32	1.09	1.16	0.95	7.45	10.18	8.28
13	हरियाणा	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46	0.58	0.67	0.44	1.57	1.10	0.82
14	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.41	0.37	0.28
15	जम्मू और कश्मीर	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43	0.21	0.35	0.21	0.03	0.06	0.02
16	झारखंड	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93	0.07	0.07	0.05	0.65	1.02	0.76
17	कर्नाटक	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09	2.27	3.25	2.46	17.10	27.20	21.35
18	केरल	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22	0.90	1.07	0.87	1.30	1.60	1.25
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47	1.50	1.51	1.08	16.50	14.70	11.16
21	महाराष्ट्र	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81	2.70	3.37	2.55	30.00	41.95	29.63
22	मणिपुर	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
23	मेघालय	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78	0.85	1.11	0.74	3.30	4.39	3.57
27	पुदुचेरी	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.09	0.11	0.08
28	पंजाब	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66	1.10	1.02	0.61	2.00	1.67	1.29
29	राजस्थान	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80	0.20	0.23	0.18	3.00	3.24	2.56
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89	2.60	2.35	2.02	9.25	11.08	8.73
32	तेलंगाना	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38	1.20	1.38	1.04	17.00	18.44	14.74
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.03
34	उत्तराखंड	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48	0.07	0.09	0.04	0.35	0.21	0.17
35	उत्तर प्रदेश	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25	2.75	2.89	1.91	12.50	14.80	10.01
36	पश्चिम बंगाल	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65	3.20	3.35	2.34	11.10	14.80	11.14
	अखिल भारत	**381.45**	**450.79**	**396.60**	**110.42**	**121.72**	**100.80**	**26.82**	**30.58**	**22.56**	**158.49**	**198.97**	**150.37**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य वार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्रम.	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24
	अखिल भारत	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**22.21**	**30.85**	**22.02**	**151.29**	**183.98**	**149.72**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य वार उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकडे एलएमटी में

क्रम.सं	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39
6	चंडीगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**110.18**	**127.42**	**109.73**	**27.62**	**22.74**	**16.45**	**126.31**	**156.51**	**116.80**